अपील सूचना अधिकार संख्या 23/2021(GCMS 2021/42)(आरटीआई नं. 212869632259694) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल, जाति अग्रवाल आयु 72 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 52एफ/312854) बनाम लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर (प्रशासन/सतर्कता), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.05.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.01.2021 से इक्कीस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.01.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न इक्कीस बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी का पत्रांक 7800 दिनांक 13.10.2020 कार्यालय में पहुंचने की तारीख व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3. पत्र प्राप्ति से दिनांक 11.01.2021 तक जो जो कार्यवाही जिस कर्मकार के द्वारा की गई उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
4. पत्रांक आपका प–11(07)लेका/रा.म./बीकानेर संभाग श्रीगंगानगर/2018/6870 दिनांक 27.08.52018 सम्बोधित जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कलैक्टर, श्रीगंगानगर में आजतक प्रार्थी को न्याय दिलवाने में की गई कार्यवाही की सूचना।

5. उपरोक्त पत्रांक दिनांक 23.08.2018 में जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।

6. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र जवाब व लिखित बहस दिनांकित 10.09.2019 आठ पृष्ठों का दिया गया है, उस पर सुनवाई जिस अधिनियम की जिस धारा में नहीं की गयी है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

7. जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर तहसील श्रीगंगानगर ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्रांक 599 दिनांक 03.05.2019 में श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई को दोषी माना है, इस सम्बन्ध में सूचना व आप द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना।

8. जांच रिर्पोट पर आप द्वारा कार्यवाही जिस अधिनियम की जिस धारा में नहीं की गयी है, उस अधिनियम व नियम की धारा व नियम की प्रमाणित प्रति।

9. अतिरिक्त जिला कलैक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के पत्रांक 7562 दिनांक 09.09.2020 के अनुसार लिपिकीय भूल के कारण प्रकरण समाप्त किया गया है।

लिपिकी[illegible] समाप्त रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 19[illegible] के जिस नियम के अन्तर्गत [illegible] उसकी सूचना व धारा व नियम की सूचना व प्रमाणित प्र[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

10. लिपिकीय त्रुटि को सुधारने हेतु जो नियम दिये गये है, उसकी धारा व उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसकी लिखित में सूचना व प्रमाणित प्रति।
11. लिपिकीय त्रुटि को प्रकरण में सुधारने हेतु प्रयास जो किये गये है, उसकी सूचना व प्रयास जिस अधिनियम की जिस धारा में नहीं किये गये, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
12. लिपिकीय त्रुटि को सुधारने में (लगने वाली) वसूल की जाने वाली राशि की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
13. पत्रांक प.11(07)शिकायत/रा.म./बीकानेर संभाग श्रीगंगानगर /1298/2924 दिनांक 02.07.19 का हवाला देकर समाप्त किया गया है, वह प्रार्थी को मिला ही नहीं, इस बाबत सूचना।
14. जिस डाकखाना या संचार माध्यम से यह पत्रांक 1298/ 2927 दिनांक 02.07.2019 प्रेषित प्रार्थी को किया गया है, उसी सूचना व पत्र की प्रमाणित प्रति संचार माध्यम की।
15. पत्रांक 1298/2924 दिनांक 02.07.2019 के सम्बन्ध में लिखी गयी कार्यालय टिप्पणी व कार्यालय टिप्पणी पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी/कर्मचारी व नियम का नाम व पद की सूचना ।
16. प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण को सुनने के लिये 42 पत्र लिख चुका है फिर भी प्रकरण की सुनवाई प्रार्थी की नही हुई व प्रकरण नैसर्गिक व प्राकृ[illegible] निर्णय दिया गया है, इस बाबत सू[illegible]
17. जिला पंजीयक, [illegible]त्रांक 230 दिनांक 04.02. 2019 से जांच रिपोर्ट प्रकरण में [illegible]खण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 11.01.2021 तक जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर से मांगने पर भी प्रार्थी द्वारा सात चक्कर लगाने के उपरान्त भी जांच रिपोर्ट नहीं भेजी है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर व प्रकरण समाप्त कर दिया है, इस बाबत सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

18. प्रार्थी द्वारा अपने पत्रांक 7612 दिनांक 21.05.2020 से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के लिखने के उपरान्त भी पत्राक पर कोई कार्यवाही जो की है, उसकी सूचना।

19. अतिरिक्त जिला (प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 7562 दिनांक 09.09.2020 से जांच रिपोर्ट पत्रांक 599 दिनरांक 03.05. 2019 ...न करने व प्रकरण मिथ्या रूप से समाप्त करने की सूचना व जिस आधार व नियमों के अधीन प्रार्थी को बिना सुने प्रकरण समाप्त किया, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

20. उक्त प्रकरण में अपने स्तर पर जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच कराये जाने बाबत सूचना।

21. पंजीयन अधिनियम 1958 व स्टाम्प नियम के जिस धारा व नियम में सहवन शब्द का उल्लेख किया है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

प्रभारी अधिकारी, स्थाना शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ.1(23)( )स्था./20/3837 दिनांक 17.05.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विषयान्तर्गत ... द्वारा प्रेषित अपील द्वारा श्री राधेश्याम गोयल के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी का आरटीआई आवेदन पत्र इस कार्यालय में आरटीआई की धारा 6(3) के अन्तर्गत 19.03.2021 को अति. जिला कलक्टर (प्रशासन),

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाए/स्थानान्तरित किए जाने पर आवेदक को इस कार्यलय के पंजीकृत पत्रांक 2000 दिनांक 15.04.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अवलोकन पश्चात यह स्पष्ट नही हो रहा कि वे किस प्रकरण में सूचना चाह रहे है क्योंकि उनके द्वारा आवेदन पत्र में अपने पत्र दिनांक 13.10.2020 का उल्लेख करते हए सूचना चाही जा रही थी लेकिन कोई विषय वस्तु का अंकन नहीं था। इसलिए आवेदक को सुझाया गया कि वे किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर सकते है, बाद अवलोकन चिन्हित सूचना नियमानुसार उन्हें उसी रोज उपलब्ध करा दी जावेगी।

आवेदक श्री राधेश्याम गोयल दिनांक 27.04.2021 को इस कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्हें उपरोक्तानुसार स्थिति से अवगत कराया गया और उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया गया। श्री राधेश्याम गोयल द्वारा रेकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात बिना हस्ताक्षर किए कार्यालय से रवाना हो गये।

अतः जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि कृपया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आरटीआई आवेदन पत्र का न्यायालय यदि स्वयं अवलोकन फरमावे तो स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जायेगी। अतः अपील जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि कृपया अपील खारिज फरमावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Signature Not Verified

-sd-

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, स्थापना शा[खा] श्रीगंगानगनर ने अपने पत्रांक 3837 दिनांक 17.05.2021 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा दिनाक 27.04.2021 को उनके कार्यालय में उपस्थित

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

होकर रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते**। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को अपीलार्थी को मूल पत्रावली का अवलोकन करवाया जा चुका है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर